

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड
आजीविका भवन, विकास भवन सर्वेचोक देहरादून दूरभाष 0135-2970165

किराये पर टैक्सी व्यवस्था सम्बन्धी फर्म को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा सूचना

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 31.03.2017 12:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	: दिनांक. 31.03.2017 1:00 बजे तक
निविदा की उपलब्धता	: www.usrlm.uk.gov.in
निविदा मूल्य	: रूपया 500 /- +14-5% Vat Extra
धरोहर धनराशि	: रूपया 50,000 /-

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

चैक लिस्ट तकनीकी निविदा

क्रमांक	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जाना है।
1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल सहित	
3	आयकर पंजीकरण संख्या (आयकर पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें)	
4	सेवा कर में पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
5	विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर (रूपये में) 2013-14 2014-15 2015-16 (तीन वर्षों की बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करें)	
6	सरकारी विभागों में जहाँ सेवाए दे रहे है (सूची एवं कार्य आवंटन पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है)	
7	सभी प्रकार के वाहनो का टैक्सी परमिट में पजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हां/नहीं में उत्तर दें
8	क्या निविदादाता ने शपथ पत्र संलग्न किया है?	हां/नहीं में उत्तर दें
9	क्या निविदादाता ने टेंडर फार्म मूल्य का डी0डी0 संलग्न किया है?	हां/नहीं में उत्तर दें
10	क्या निविदादाता ने धरोहर धनराशि जामा की है?	हां/नहीं में उत्तर दें
11	वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन का बीमा होना आवश्यक है।	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

तकनीकी निविदा

किराये पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/फर्म के चयन हेतु नियम एवं शर्तें:

1. अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगा। प्राप्त सेवाएं यदि संतोषजनक पाई जाती हैं तो अनुबन्ध को दोनों पक्षों की सहमति से वर्ष समाप्ति पर अगले 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा।
2. फर्म को आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है(आयकर पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)
3. फर्म द्वारा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख निविदा में होना आवश्यक है वर्तमान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें)
4. सभी प्रकार के वाहनो का टैक्सी कोटे में पंजीकरण आवश्यक है।
5. फर्म का विगत तीन वर्षों वित्तीय वर्ष, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में औसत टर्नओवर कम से कम रूपया 10 लाख होना चाहिए।
6. फर्म विगत 3 वर्षों से कार्यरत होनी चाहिए।
7. फर्म को कम से कम 3 वर्षों का शासकीय कार्यालय,परियोजना,विभाग अथवा एजेंसीयों को वाहन प्रदान कराने का अनुभव होना चाहिए (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
8. विगत तीन वित्तीय वर्षों 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करें।
9. निविदा फार्म का मूल्य रूपया 500 + 14-5% Vat Extra डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, एस0आर0एल0एम0 देहरादून के नाम में देय होगा। निविदा फर्म मूल्य वापस नहीं होगा।
10. धरोहर धनराशि रूपया 50,000 (पचास हजार मात्र) जो कि राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, एस0आर0एल0एम0 देहरादून के नाम में देय होगा।
11. धरोहर धनराशि रूपया पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. चयनित फर्म की धरोहर धनराशि अनुबन्ध समय तक के लिए कार्यालय में सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा कर ली जाएगी और असफल निविदादाताओं की धनराशि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वापस कर दी जाएगी। चयनित फर्म की धनराशि अनुबन्ध समाप्त होने के 3 माह के भीतर मांगे जाने पर वापस की जाएगी।
13. फर्म किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, इस संबंध में 10 रूपया के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दाखिल कराना होगा।
14. निविदादाता फर्म/एजेन्सी द्वारा अपने वाहन की प्रतिमाह किराये की दर 2000 कि0मी0 की दूरी तक ईंधन का व्यय समिमलित कर यू0एस0आर0एल0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. समय-समय पर यथा आवश्यकता पडने पर मांग के अनुसार निविदादाता फर्म/एजेन्सी द्वारा यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा स्वीकृत दरों पर उपरोक्त वर्णित मॉडल के चालित वाहन को दैनिक किराया+80 किमी0 प्रतिदिन का व्यय भार के आधार पर लिया जायेगा।
16. निविदादाता फर्म/एजेन्सी द्वारा बिल प्रत्येक दशा में माह के प्रथम सप्ताह में गत माह का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की जाएगी। निविदादाता फर्म/एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को प्रयोग करने पर माह में कुल दूरी के विवरण की सत्यापित लॉग बुक यू0ए0आर0एल0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
17. प्रातः वाहन को चलाने की मीटर रीडिंग तथा सायं ड्यूटी समाप्ति पर की मीटर रीडिंग एवं दैनिक रूप से सायं/रात्री वापस लौटने की मीटर रीडिंग के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
18. किलोमीटर रीडिंग की गणना SMMU मुख्यालय से छोड़े जाने के स्थान तक की जाएगी।
19. स्वीकृत फर्म को उसी दर पर टैक्सी उपलब्ध करानी होगी जो दरें फर्म ने निविदा में अंकित की है।
20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. दरों पर कटिंग/अपलेखन वर्जित है।
22. निविदादाता को निर्धारित समय अवधि के अन्दर अपनी निविदा मिशन कार्यालय में उपलब्ध करानी हेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदायें मान्य नहीं होंगी।
23. निर्धारित समय में टैक्सी उपलब्ध करानी होगी अन्यथा की स्थिति में आदेश आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। समुचित कारण न पाये जोन पर संबंधित फर्म की जमानत जब्त आदि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
24. स्वीकृत दरों के वाहन निम्न स्तर के पाये जायेंगे तो सम्बंधित फर्म को काली सूची में रखा जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
25. वाहन वर्ष 2015-16 अथवा इसके बाद के ही मॉडल के वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे। वाहन के टायर टीयूब अच्छी कंडीशन में होने चाहिए तथा माइलोमीटर हमेशा चालू और ठीक हालत में होना अनिवार्य है तथा वाहन 15000 कि0मी0 से ज्यादा न चला हो।
26. वाहन चालक का चरित्र प्रमाण पत्र मिशन कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।।
27. वाहन चालक की व्यवस्था ट्रेवल एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्च एजेंसी द्वारा प्रदान किये जायेगे।
28. वाहन चालक के पास फोर व्हीलर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस चालक का बीमा होना आवश्यक है।
29. वाहन चालक 12 घंटे कार्य के लिए उपलब्ध होगा इसके लिए एजेंसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी वाहन चालक के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में एजेंसी द्वारा दूसरा वाहन चालक तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
30. किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

31. मिशन निदेशक को समस्त अथवा कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार देहरादून होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय निविदा

फर्म का नाम:.....

क्र० स०	कार्य का विवरण	मेक / मॉडल	दर		अभ्युक्ति
			मासिक किराया (2000 कि०मी० तक ईंधन का व्यय सहित)	दैनिक (80 कि०मी० प्रतिदिन का व्यय भार सम्मिलित कर)	
1	यू०एस०आर०एल०एम उत्तराखण्ड देहरादून में शासकीय उपयोग हेतु मासिक / दैनिक किराये पर वाहन की आपूर्ति का कार्य				वाहन वित्तीय वर्ष 2016 का हो यदि वाहन का मॉडल 2015 का है तो अधिकतम 15000 किमी० ही चालाया गया हो वस्तुतः वाहन 2016 के माडल को प्राथमिकता दी जायगी।
1	इंनोवा डीजल अ) मासिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल ब) दैनिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल				
2	इंडिगो डीजल अ) मासिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल ब) दैनिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल				
3	इंडिका डीजल अ) मासिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल ब) दैनिक दर पर • ए०सी० मॉडल • नान ए०सी० मॉडल				

4	<p>स्विफ्ट डिजायर डीजल</p> <p>अ) मासिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल <p>ब) दैनिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल 				
5	<p>मारुती अर्टीगा डीजल</p> <p>अ) मासिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल <p>ब) दैनिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल 				
6	<p>हौडा सिटि डीजल</p> <p>अ) मासिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल <p>ब) दैनिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल 				
7	<p>मारुती डिजल</p> <p>अ) मासिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल <p>ब) दैनिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल 				
8	<p>स्कापियो</p> <p>अ) मासिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल <p>ब) दैनिक दर पर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए0सी0 मॉडल ● नान ए0सी0 मॉडल 				

नोट:

1. सभी बिन्दुओं पर दरें दिया जाना अनिवार्य है।
2. यदि किसी प्रकार का कर/बीमा/टोल टैक्स/रात्रि चार्ज/हाल्ट चार्ज लिया जाना हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।
3. वाहन 2015-16 से पुराने मॉडल का नहीं होना चाहिए।
4. सभी गाड़िया आर0टी0ओ0 में टैक्सी के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए तथा गाड़िया मिशन कार्यालय हेतु उपलब्ध कराई जाएगी उनके पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति मिशन कार्यालय में जमा करनी होगी।
5. लाग बुक रख-रखाव की उत्तरदायित्व टैक्सी फर्म का होगा।

दिनांक.....

स्थान.....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित